



बिहार सरकार

समाहरणालय, खगड़िया



ई-मेल :- adm.rev.khagaria@gmail.com

वेबसाईट :- khagaria.nic.in

जिला राजस्व शाखा

अतिअल्पकालीन आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 01 अक्टूबर 2021 से 31 सितम्बर 2022 तक के लिये खगड़िया जिलान्तर्गत अक्टूबर सिरीज सैरात (1) चातर घाट किल्लागड़ाई (2) खुटहा उदनघरारी घाट की बंदोवस्ती निदेशक भू-अर्जन-सह-अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-193(9)/रा0, दिनांक-21.08.2021 के आलोक में किये जाने हेतु समाहरणालय खगड़िया के ज्ञापांक-1656/रा0, दिनांक-11.09.2021 द्वारा बंदोवस्ती की तिथि दिनांक-27.09.2021, 29.09.2021 एवं 30.09.2021 निर्धारित करते हुए बंदोवस्ती हेतु आम सूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में कराया गया था, परन्तु निर्धारित तिथि को एक भी बंदोवस्ती हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुए।

पुनः उपरोक्त सैरातों की बंदोवस्ती हेतु तिथि का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये बंदोवस्ती खुली बोली पद्धति के माध्यम से सुरक्षित जमा राशि के विरुद्ध उच्चतम बोली लगाने वाले के साथ की जायेगी। उपर्युक्त वर्णित सैरातों की बंदोवस्ती समाहरणालय सभा कक्ष में किया जायेगा। सैरातों की बंदोवस्ती हेतु तिथि एवं अनुवर्ती तिथि निम्नांकित है :-

क्र०	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	प्रतिभूति राशि (सुरक्षित जमा का 10 प्रतिशत)	डाक की तिथि अनुवर्ती तिथि एवं समय
01	अलौली	चातर घाट किल्लागड़ाई	17,35,889=00	1,73,589=00	तिथि- 16.10.2021 अनुवर्ती तिथि-18.10.2021
02	अलौली	खुटहा उदनघरारी घाट	5,12,460=00	51,246=00	20.10.2021 समय-11 बजे पूर्वा०

शर्तें

- 1) बंदोवस्ती के पूर्व बंदोवस्ती में भाग लेने के लिये डाकवक्ता को जिला नजारत में सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि उपर्युक्त विवरणी के अनुसार जमा करना होगा। बंदोवस्ती में असफल डाकवक्ता को बंदोवस्ती के बाद प्रतिभूति राशि वापस कर दी जायेगी।
- 2) बंदोवस्ती में वैसे व्यक्ति/संस्था ही भाग ले सकते हैं जो पूर्व के बकायेदार नहीं होंगे। तत्संबंधी प्रमाण पत्र/शपथपत्र आवेदक को उपलब्ध कराना होगा। इच्छुक व्यक्ति मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड एवं संबंधित पुलिस अधीक्षक खगड़िया से अपने आचरण एवं पूर्ववृत्त के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। जिनका आचरण स्वच्छ नहीं होगा उन्हें बंदोवस्ती में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।

- 3) सफल डाकवक्ता को बंदोवस्ती राशि का प्रथम किस्त के रूप में बंदोवस्त राशि का 50 प्रतिशत तुरंत जमा करना होगा तथा शेष राशि बंदोवस्ती अवधि के तीन माह के अन्दर तीन किस्तों में प्रतिमाह जमा करना होगा।
- 4) सफल डाकवक्ता को नियमानुसार एकरारनामा/मुद्रांक शुल्क/निबंधन शुल्क एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। अन्यथा बंदोवस्ती रद्द करते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी और द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाले को दी जा सकती है।
- 5) किसी भी परिस्थिति में बंदोवस्ती की राशि में किसी प्रकार की माफी या छूट नहीं दी जायेगी।
- 6) बंदोवस्ती रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

६०१-

समाहर्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक-...../रा०., दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी खगड़िया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे तथा उपर्युक्त सैरातों की बंदोवस्ती के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

६०१-

समाहर्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक-...../रा०., दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया एवं गोगरी/ भूमि सुधार उप समाहर्ता खगड़िया एवं गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६०१-

समाहर्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक-...../रा०., दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- नजारत उप समाहर्ता खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६०१-

समाहर्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक-...../रा०., दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से ध्यनि विस्तारक यंत्र एवं अन्य माध्यम से बंदोवस्ती संबंधी अतिअल्पकालीन आम सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

६०१-

समाहर्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक- 2122 / रा0., दिनांक- 9.10.21

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त अतिअल्पकालीन आम सूचना जिला के वेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

समाहर्ता,
खगड़िया।

जल